[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 13 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

सं0 75/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतत द्वारा उन वस्तुओं को जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट और सीमा शुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, जब उनका आयात फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 के आयोजन के लिए भारत में किया जा रहा हो, उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(7) के अंतर्गत उनपर लगाये जाने वाले संपूर्ण एकीकृत से, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है-

तालिका

क्रम संख्या	मद	शर्त
(1)	(2)	(3)
1.	निम्नलिखित वस्तुएं;- I. सभी क्रीडा वस्तुएं, क्रीडा उपकरण क्रीडा के लिए जरूरी वस्तुएं । फिटनेस उपकरण; टीम यूनीफार्म /कपड़े, बाकी व सहायक वस्तुएं तथा खपत होने वाली अन्य वस्तुएं । II. ड्रापिंग कंट्रोल इक्यिूपमेंट,	(क)नीचे दी गई सूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा तथा 17 वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 के अंतर्गत फीफा के संबंध में आयात किया गया हो । (ख)आयातकर्ता वस्तुओं के क्लियरेंस के समय सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क या उपायुक्त, सीमा शुल्क , जैसी भी स्थिति हो , के समक्ष निदेशक (खेल) खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त ऐसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो

	III. फर्स्टऐड किट्स IV. सैटेलाइट फोन्स /जीपीएस, पेजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम और संचार के अन्य उपकरण :वीडियो/प्लाजमा स्क्रीन, प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रानिक स्कोर बोर्ड ; समय सूचक उपकरण, स्टाप वाच , स्कोरिंग और रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स; मारकीस, टैन्टस और अन्य आई टी उपकरण जैसे कि प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर्स, कम्पयूटर्स, स्मार्ट फोन, रूटर्स, उपकरण आदि । V. फूड स्टफ, इनर्जी ड्रिंक्स, आइसोटोनिक, ट्रानिक वाटर, VI. फार्मास्यूटिकल्स एण्ड मेडिकल कंज्यूमेबल्स । VII. प्रशिक्षण, चिकित्सा या अन्य उपकरण जो कि ऐसी घटना में काम आते हों VIII. डाइनिंग/किचन आइटम्स, कार्यालय के लिए जरूरी वस्तुएं, लेखन सामग्री और गिफ्ट आइटम्स , सूवेनीर, मेमेन्टो, आदि IX. यूनीफार्म /परिधान सामग्री और अन्य क्रीडा परिधान , सिलाई मशीन समेत X. प्रदर्शन /प्रदर्शनी, दुकानों , स्वागत कक्ष आदि से सबंधित वस्तुएं । XI. अन्य सभी वस्तुएं, जिनमें वे वस्तुएं भी आती हैं जो केवल ट्राफी मेडल, पुरस्कार आदि	जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शाई गई हों - i. आयातकर्ता का नाम और पता तथा उक्त वस्तु का विवरण, मात्रा और मूल्य ;और ii. यह कि उक्त वस्तु उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट शर्तों के उद्देश्य से जरूरी है ग. आयातकर्ता वस्तुओं के क्लियरेंस के समय इस बात की आशय की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करता हो कि - I. कि इन सभी वस्तुओं का, गिफ्ट आइटम, सूवेनीर, मेमेन्टों को छोड़कर, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 के संपन्न् होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पुन: निर्यात कर दिया जाएगा । II. खपत हो जाने वाली वस्तुओं के संबंध में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 के संपन्न् होने की तारीख से 3 महीने के भीतर निदेशक (खेल), खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

	तक सीमित न हों ।(जैसे कि गोल्डन बूट /ग्लब्स), आदि	
2.	इस घटना के आयोजन और इसके दौरान प्रयुक्त प्रसारण संबंधी उपकरण और उनकी आपूर्ति	(क)फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 के प्रयोजन के लिए फीफा होस्ट ब्राडकास्टर्स के द्वारा आयातित किया गया हो । (ख)आयातकर्ता वस्तुओं के क्लियरेंस के समय सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क या उपायुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो , के समक्ष निदेशक (खेल) खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त ऐसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शाई गई हों - iii. आयातकर्ता का नाम और पता तथा उक्त वस्तु का विवरण, मात्रा और मूल्य ;और iv. यह कि उक्त वस्तु उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट शर्तों के उद्देश्य से जरूरी है ग. आयातकर्ता इन वस्तुओं के क्लियरेंस के समय इस आशय की अंडरटेकिंग देता है कि इन सभी वस्तुओं का फीफा अंडर 17, वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 के संपन्न होने के तीन माह के भीतर पुन:निर्यात कर दिया जाएगा ।
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स, फीटिंग्स, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स , एयर कंडीशनिंग इक्यूपमेंटस	(क)नीचे दी गई सूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के द्वारा तथा 17 वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 के अंतर्गत फीफा के संबंध में आयात किया गया हो । (ख)आयातकर्ता वस्तुओं के क्लियरेंस के समय सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क या उपायुक्त, सीमा शुल्क , जैसी भी स्थिति हो , के समक्ष निदेशक (खेल) खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय , भारत सरकार से प्राप्त ऐसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो जिसमें निम्नलिखित बातें दर्शाई गई हों - i. आयातकर्ता का नाम और पता तथा उक्त वस्तु का विवरण, मात्रा और मूल्य ;और ii यह कि उक्त वस्तु उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट शर्तों के उद्देश्य से जरूरी है ग. आयातकर्ता इन वस्तुओं के क्लियरेंस के समय

		इस आशय की अंडरटेकिंग देता है कि इन सभी वस्तुओं का फीफा अंडर 17, वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 के संपन्न होने के तीन माह के भीतर पुन:निर्यात कर दिया जाएगा ।

सूची

क्रम सं0	आयातकर्ता निकाय और व्यक्ति
1.	फीफा और फीफा के सहायक
2	फीफा कंफड्रेशन
3	भाग लेने वाले फीफा मेंबर एसोसिशन , जिसमें हास्टिंग एसोसिएशन भी शामिल हैं ।
4	फीफा कांट्रक्ट्रर्स जिसमें फीफा होस्ट ब्राड कास्टर्स भी शामिल हैं ।
5	फीफा के कर्मचारी और अधिकारी और फीफा शिष्टमंडल के सदस्य,जिसमें मैच के अधिकारी भी शामिल हैं ।
6	फीफा कंफड्रेशन और फीफा मेंबर एसोसिएशन के कर्मचारी और अधिकारी
7	फीफा की सूची में शामिल व्यक्ति ।

(फा.सं.-354/78/2012-टीआरयू भाग-1)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार